रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12072024-255377
CG-DL-E-12072024-255377

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 360] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 12, 2024/आषाढ 21, 1946
No. 360] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 12, 2024/ASHADHA 21, 1946

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2024

संख्या 04/2024-केन्द्रीय कर (दर)

सा.का.नि. 388(अ).— केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप धारा (3) और उप धारा (4), धारा 11 की उप धारा (1), धारा 15 की उप धारा (5) और धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 12/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 691(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, तालिका में,-

(क) क्रम संख्या 9घ और तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्याएं और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"9ड.	अध्याय 99	इन माध्यमों से रेल मंत्रालय (भारतीय रेल) द्वारा व्यक्तियों को दी जा रही सेवाएं- (क) प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री; (ख) रिटायरिंग रूम/प्रतीक्षालयों की सुविधा; (ग) अमानती घर सेवाएं; (घ) बैटरी चालित कार सेवाएं	शून्य	शून्य
9च	अध्याय 99	रेल मंत्रालय (भारतीय रेल) के अंतर्गत किसी क्षेत्र/ प्रभाग द्वारा रेल मंत्रालय (भारतीय रेल) के अधीन किसी अन्य क्षेत्र (क्षेत्रों)/प्रभाग(प्रभागों) को दी जाने वाली सेवाएं।	शून्य	शून्य
9छ	अध्याय 99	विशेष प्रयोजन माध्यमों (एसपीवी) द्वारा रेल मंत्रालय (भारतीय रेल) को रियायती अवधि के दौरान उनके द्वारा निर्मित और स्वामित्व वाले बुनियादी ढांचे का प्रतिफल के विरुद्ध उपयोग करने की सेवाएं और रेल मंत्रालय (भारतीय रेल) द्वारा एसपीवी निर्मित और स्वामित्व वाले उक्त बुनियादी ढांचे के संबंध में रियायती अवधि के दौरान प्रतिफल के विरुद्ध रखरखाव की सेवाएं।	शून्य	शून्य";

(ख) क्रम संख्या 12 में,

(i) कॉलम (2) में, शब्दों और आंकड़ों "शीर्षक 9963 या" का लोप किया जाएगा;

(ii) कॉलम (3) में, स्पष्टीकरण को स्पष्टीकरण 1 के रूप में अंकित किया जाएगा और स्पष्टीकरण 1, जो इस प्रकार अंकित किया गया है, के पश्चात निम्नलिखित स्पष्टीकरण को अंतःस्थापित किया जाएगा-

"स्पष्टीकरण 2.-इस प्रविष्टि में अंतर्विष्ट कोई बात निम्नलिखित पर लागू नहीं होगी-

(क) विद्यार्थी आवासों में विद्यार्थियों के लिए आवासीय सेवाएं;

(ख) होस्टल्स, शिविर, पेइंग गेस्ट आवासों और इसी प्रकार के अन्य आवासों द्वारा दी जा रही आवासीय सेवाएं।";

(ग) क्रम संख्या 12 और तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
"12क	शीर्षक 9963		आवासीय सेवाओं की आपूर्ति जिसमें आपूर्ति का मूल्य प्रति व्यक्ति प्रति माह बीस हजार रुपए या उससे कम हो, बशर्ते की यह आवासीय सेवा कम से कम 90 दिनों की अवधि के लिए दी गई हो।	शून्य	शून्य"।

2. यह अधिसूचना 15 जुलाई, 2024 से लागू होगी।

[फा. सं. CBIC-190354/94/2024-TO(TRU-II)-CBEC]

डॉ. पुनीता बेदी, निदेशक

नोटः मूल अधिसूचना संख्या 12/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 691(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड-3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 13/2023-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 19 अक्तूबर, 2023 जिसे सा.का.नि. 762(अ), दिनांक 19 अक्तूबर, 2023 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण भाग ।।, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th July, 2024

No. 04/2024- Central Tax (Rate)

G.S.R. 388(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) and sub-section (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15 and section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendment further to amend the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.12/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 691(E), dated the 28th June, 2017, namely:—

In the said notification, in the Table, -

(A) after serial number 9D and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"9E	Chapter 99	Services provided by Ministry of Railways (Indian Railways) to individuals by way of – (a) sale of platform tickets; (b) facility of retiring rooms/waiting rooms;	Nil	Nil

		(c) cloak room services; (d) battery operated car services.		
9F	Chapter 99	Services provided by one zone/division under Ministry of Railways (Indian Railways) to another zone(s)/division(s) under Ministry of Railways (Indian Railways).	Nil	Nil
9G	Chapter 99	Services provided by Special Purpose Vehicles (SPVs) to Ministry of Railways (Indian Railways) by way of allowing Ministry of Railways (Indian Railways) to use the infrastructure built and owned by them during the concession period against consideration and services of maintenance supplied by Ministry of Railways (Indian Railways) to SPVs in relation to the said infrastructure built and owned by the SPVs during the concession period against consideration.	Nil	Nil";

(B) in serial number 12, -

(i) in column (2), the words and figures "Heading 9963 or" shall be omitted;

(ii) in column (3), the Explanation shall be numbered as Explanation 1 thereof, and after Explanation 1 so re-numbered, the following Explanation shall be inserted, namely: -

"Explanation 2.- Nothing contained in this entry shall apply to-

(a) accommodation services for students in student residences;

(b) accommodation services provided by Hostels, Camps, Paying Guest accommodations and the like.";

(C) after serial number 12 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"12A	Heading 9963	Supply of accommodation services having value of supply less than or equal to twenty thousand rupees per person per month provided that the accommodation service is supplied for a minimum continuous period of ninety days.	Nil	Nil".

2. This notification shall come into force with effect from the 15th day of July, 2024.

[F.No. CBIC-190354/94/2024-TO(TRU-II)-CBEC]

Dr. PUNEETA BEDI, Director

Note: The principal notification No. 12/2017 - Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 691 (E), dated the 28th June, 2017 and was last amended vide notification No. 13/2023 - Central Tax (Rate), dated the 19th October, 2023 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II , Section 3 , Sub-section (i) vide number G.S.R. 762(E), dated the 19th October, 2023.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2024

संख्या 04/2024-एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 389(अ).— केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप धारा (5) और धारा 148 के साथ पठित, एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उप धारा (3) और उप धारा (4), धारा 6 की उप धारा (1) और धारा 20 के उपवाक्य (xxv) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 09/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 684 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, तालिका में,-

(क) क्रम संख्या 10ज और तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्याएं और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"10झ	अध्याय 99	इन माध्यमों से रेल मंत्रालय (भारतीय रेल) द्वारा व्यक्तियों को दी जा रही सेवाएं - (क) प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री; (ख) रिटायरिंग रूम/प्रतीक्षालयों की सुविधा; (ग) अमानती घर सेवाएं; (घ) बैटरी चालित कार सेवाएं	शून्य	शून्य
10 ञ	अध्याय 99	रेल मंत्रालय (भारतीय रेल) के अंतर्गत किसी क्षेत्र/ प्रभाग द्वारा रेल मंत्रालय (भारतीय रेल) के अधीन किसी अन्य क्षेत्र(क्षेत्रों)/प्रभाग(प्रभागों) को दी जाने वाली सेवाएं।	शून्य	शून्य
10 ट	अध्याय 99	विशेष प्रयोजन माध्यमों (एसपीवी) द्वारा रेल मंत्रालय (भारतीय रेल) को रियायती अवधि के दौरान उनके द्वारा निर्मित और स्वामित्व वाले बुनियादी ढांचे का प्रतिफल के विरुद्ध उपयोग करने की सेवाएं और रेल मंत्रालय (भारतीय रेल) द्वारा एसपीवी निर्मित और स्वामित्व वाले उक्त बुनियादी ढांचे के संबंध में रियायती अवधि के दौरान प्रतिफल के विरुद्ध रखरखाव की सेवाएं।	शून्य	शून्य";

(ख) क्रम संख्या 13 में,-

(i) कॉलम (2) में, शब्दों और आंकड़ों "शीर्षक 9963 या" का लोप किया जाएगा;

(ii) कॉलम (3) में, स्पष्टीकरण को स्पष्टीकरण 1 के रूप में अंकित किया जाएगा और स्पष्टीकरण 1, जो इस प्रकार अंकित किया गया है, के पश्चात निम्नलिखित स्पष्टीकरण को अंतःस्थापित किया जाएगा-

"स्पष्टीकरण 2.- इस प्रविष्टि में अंतर्विष्ट कोई बात निम्नलिखित पर लागू नहीं होगी-

(क) विद्यार्थी आवासों में विद्यार्थियों के लिए आवासीय सेवाएं;

(ख) होस्टल्स, शिविर, पेइंग गेस्ट आवासों और इसी प्रकार के अन्य आवासों द्वारा दी जा रही आवासीय सेवाएं।";

(ग) क्रम संख्या 13 और तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"13क	शीर्षक 9963	आवासीय सेवाओं की आपूर्ति जिसमें आपूर्ति का मूल्य प्रति व्यक्ति प्रति माह बीस हजार रुपए या उससे कम हो, बशर्ते की यह आवासीय सेवा कम से कम 90 दिनों की अवधि के लिए दी गई हो।	शून्य	शून्य"।

2. यह अधिसूचना 15 जुलाई, 2024 से लागू होगी।

[फा. सं. CBIC-190354/94/2024-TO(TRU-II)-CBEC]

डॉ. पुनीता बेदी, निदेशक

नोट : मूल अधिसूचना संख्या 09/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 684 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 16/2023-एकीकृत कर (दर), दिनांक 19 अक्टूबर, 2023, सा.का.नि. 763 (अ), दिनांक 19 अक्टूबर, 2023 के तहत सरकारी राजपत्र में प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th July, 2024

No. 04/2024- Integrated Tax (Rate)

G.S.R. 389(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) and sub-section (4) of section 5, sub-section (1) of section 6 and clause (xxv) of section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), read with sub-section (5) of section 15 and section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments further to amend in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No.9/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3,Sub-section (i) vide number G.S.R. 684 (E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, -

(A) after serial number 10H and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"10I	Chapter 99	Services provided by Ministry of Railways (Indian Railways) to individuals by way of – (a) sale of platform tickets; (b) facility of retiring rooms/waiting rooms; (c) cloak room services; (d) battery operated car services.	Nil	Nil
10J	Chapter 99	Services provided by one zone/division under Ministry of Railways (Indian Railways) to another zone(s)/division(s) under Ministry of Railways (Indian Railways).	Nil	Nil
10K	Chapter 99	Services provided by Special Purpose Vehicles (SPVs) to Ministry of Railways (Indian Railways) by way of allowing Ministry of Railways (Indian Railways) to use the infrastructure built and owned by them during the concession period against consideration and services of maintenance supplied by Ministry of Railways (Indian Railways) to SPVs in relation to the said infrastructure built and owned by the SPVs during the concession period against consideration.	Nil	Nil";

(B) in serial number 13, -

(i) in column (2), the words and figures "Heading 9963 or" shall be omitted;

(ii) in column (3), the Explanation shall be numbered as Explanation 1 thereof, and after Explanation 1 so re-numbered, the following Explanation shall be inserted, namely: -

"Explanation 2.- Nothing contained in this entry shall apply to-

(a) accommodation services for students in student residences;

(b) accommodation services provided by Hostels, Camps, Paying Guest accommodations and the like.";

(C) after serial number 13 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"13A	Heading 9963	Supply of accommodation services having value of supply less than or equal to twenty thousand rupees per person per month provided that the accommodation service is supplied for a minimum continuous period of ninety days.	Nil	Nil".

2. This notification shall come into force with effect from the 15th day of July, 2024.

[F.No. CBIC-190354/94/2024-TO(TRU-II)-CBEC]

Dr. PUNEETA BEDI, Director

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification no. 9/2017 - Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, vide number G.S.R. 684 (E), dated the 28th June, 2017 and last amended vide notification no. 16/2023 - Integrated Tax (Rate), dated the 19th October, 2023 published in the official gazette vide number G.S.R. 763(E), dated the 19th October, 2023.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2024

संख्या 04/2024-संघ राज्य क्षेत्र कर (दर)

सा.का.नि. 390(अ).— केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप धारा (5) और धारा 148 के साथ पठित, संघ राज्य क्षेत्र माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 7 की उप धाराओं (3) और (4), धारा 8 की उप धारा (1), धारा 21 के उपवाक्य (iv) और (xxvii) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 12/2017-संघ राज्य क्षेत्र कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 703 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, तालिका में,-

(क) क्रम संख्या 9घ और तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्याएं और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"9ङ.	अध्याय 99	इन माध्यमों से रेल मंत्रालय (भारतीय रेल) द्वारा व्यक्तियों को दी जा रही सेवाएं- (क) प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री; (ख) रिटायरिंग रूम/प्रतीक्षालयों की सुविधा; (ग) अमानती घर सेवाएं; (घ) बैटरी चालित कार सेवाएं	शून्य	शून्य
9च	अध्याय 99	रेल मंत्रालय (भारतीय रेल) के अंतर्गत किसी क्षेत्र/ प्रभाग द्वारा रेल मंत्रालय (भारतीय रेल) के अधीन किसी अन्य क्षेत्र (क्षेत्रों)/प्रभाग(प्रभागों) को दी जाने वाली सेवाएं।	शून्य	शून्य
9छ	अध्याय 99	विशेष प्रयोजन माध्यमों (एसपीवी) द्वारा रेल मंत्रालय (भारतीय रेल) को रियायती अवधि के दौरान उनके द्वारा निर्मित और स्वामित्व वाले बुनियादी ढांचे का प्रतिफल के विरुद्ध उपयोग करने की सेवाएं और रेल मंत्रालय (भारतीय रेल) द्वारा एसपीवी निर्मित और स्वामित्व वाले उक्त बुनियादी ढांचे के संबंध में रियायती अवधि के दौरान प्रतिफल के विरुद्ध रखरखाव की सेवाएं।	शून्य	शून्य";

(ख) क्रम संख्या 12 में,-

(i) कॉलम (2) में, शब्दों और आंकड़ों "शीर्षक 9963 या" का लोप किया जाएगा;

(ii) कॉलम (3) में, स्पष्टीकरण को स्पष्टीकरण 1 के रूप में अंकित किया जाएगा और स्पष्टीकरण 1, जो इस प्रकार अंकित किया गया है, के पश्चात निम्नलिखित स्पष्टीकरण को अंतःस्थापित किया जाएगा-

"स्पष्टीकरण 2.- इस प्रविष्टि में अंतर्विष्ट कोई बात निम्नलिखित पर लागू नहीं होगी -

(क) विद्यार्थी आवासों में विद्यार्थियों के लिए आवासीय सेवाएं;

(ख) होस्टल्स, शिविर, पेइंग गेस्ट आवासों और इसी प्रकार के अन्य आवासों द्वारा दी जा रही आवासीय सेवाएं।";

(ग) क्रम संख्या 12 और तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"12क	शीर्षक 9963	आवासीय सेवाओं की आपूर्ति जिसमें आपूर्ति का मूल्य प्रति व्यक्ति प्रति माह बीस हजार रुपए या उससे कम हो, बशर्ते की यह आवासीय सेवा कम से कम 90 दिनों की अवधि के लिए दी गई हो ।	शून्य	शून्य"।

2. यह अधिसूचना 15 जुलाई, 2024 से लागू होगी।

[फा. सं. CBIC-190354/94/2024-TO(TRU-II)-CBEC]

डॉ. पुनीता बेदी, निदेशक

नोट : मूल अधिसूचना संख्या 12/2017-संघ राज्य क्षेत्र कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 703 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 13/2023-संघ राज्य क्षेत्र कर (दर), दिनांक 19 अक्तूबर, 2023 सा.का.नि. 764(अ), दिनांक 19 अक्तूबर, 2023 के तहत सरकारी राजपत्र में प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया है ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th July, 2024

No. 04/2024- Union Territory Tax (Rate)

G.S.R. 390(E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (3) and (4) of section 7, sub-section (1) of section 8 and clause (iv) and clause (xxvii) of section 21 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), read with sub-section (5) of section 15 and section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments further to amend in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.12/2017-Union Territory Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 703 (E), dated the 28th June, 2017, namely: -

In the said notification, in the Table, -

(A) after serial number 9D and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"9E	Chapter 99	Services provided by Ministry of Railways (Indian Railways) to individuals by way of – (a) sale of platform tickets; (b) facility of retiring rooms/waiting rooms; (c) cloak room services; (d) battery operated car services.	Nil	Nil
9F	Chapter 99	Services provided by one zone/division under Ministry of Railways (Indian Railways) to another zone(s)/division(s) under Ministry of Railways (Indian Railways).	Nil	Nil
9G	Chapter 99	Services provided by Special Purpose Vehicles (SPVs) to Ministry of Railways (Indian Railways) by way of allowing Ministry of Railways (Indian Railways) to use the infrastructure built and owned by them during the concession period against consideration and services of maintenance supplied by Ministry of Railways (Indian Railways) to SPVs in relation to the said infrastructure built and owned by the SPVs during the concession period against consideration.	Nil	Nil";

(B) in serial number 12, -

(i) in column (2), the words and figures "Heading 9963 or" shall be omitted;

(ii) in column (3), the Explanation shall be numbered as Explanation 1 thereof, and after Explanation 1 so re-numbered, the following Explanation shall be inserted, namely: -

"Explanation 2.- Nothing contained in this entry shall apply to-

(a) accommodation services for students in student residences;

(b) accommodation services provided by Hostels, Camps, Paying Guest accommodations and the like.";

(C) after serial number 12 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"12A	Heading 9963	Supply of accommodation services having value of supply less than or equal to twenty thousand rupees per person per month provided that the accommodation service is supplied for a minimum continuous period of ninety days.	Nil	Nil".

2. This notification shall come into force with effect from the 15th day of July, 2024.

[F.No. CBIC-190354/94/2024-TO(TRU-II)-CBEC]

Dr. PUNEETA BEDI, Director

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification no. 12/2017 – Union Territory Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, vide number G.S.R. 703 (E), dated the 28th June, 2017 and last amended vide notification No. 13/2023 – Union Territory Tax (Rate), dated the 19th October, 2023 published in the official gazette vide number G.S.R. 764(E), dated the 19th October, 2023.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2024.07.12 19:49:21 +05'30'